



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन योजना

कृषि उपभोक्ताओं को जले हुए ट्रांसफार्मर की शिकायत दर्ज करवाने के लिए दस और माध्यम उपलब्ध करवाए गए

जयपुर, 25 सितम्बर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं के जले ट्रांसफार्मरों को शीघ्रता से बदलने के लिए लागू किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन योजना के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए बिजली मित्र एप या उपभोक्ता सेवा केन्द्र के साथ ही कुछ नए माध्यम भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में केवल बिजली मित्र एप या उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर जले ट्रांसफार्मर की शिकायत दर्ज होने पर ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही की जा रही थी।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन योजना के अन्तर्गत डिस्कॉम द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब कृषि उपभोक्ताओं को दस माध्यम और उपलब्ध करवाएं गए हैं, ताकि उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी भी माध्यम से जले हुए ट्रांसफार्मर की शिकायत दर्ज करवा सके और निगम द्वारा शिकायत दर्ज होने के उपरान्त प्राथमिकता से जले हुए ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदल कर उपभोक्ता को राहत प्रदान की जा सके।

अब कृषि उपभोक्ता इन माध्यमों से जले ट्रांसफार्मर की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं

- टोल फ्री नम्बर 18001806507 या 1912
- टेलिफोन नम्बर 0141-2203000
- "बिजली मित्र" वेब एप्लीकेशन- www.bijlimitra.com अथवा "बिजली मित्र" मोबाईल एप
- एस एम एस द्वारा 57575 या 9414037085
- ट्विटर "@JVNLCCARE" या "@MD_JVNL"
- फेसबुक पेज www.facebook.com/Managingdirector.jvnl.1
- व्हाट्स ऐप नम्बर -9414037085
- www.energy.rajasthan.gov.in.jvnl के होम पेज पर चैट द्वारा
- <https://jvccc.intelnetglobal.com/registercomplaint> के लिंक "Register complaint" द्वारा
- "helpdesk@jvnl.org" पर ई-मेल भेजकर
- डिविजन ऑफिस में स्थित "उपभोक्ता सेवा केन्द्र" पर व्यक्तिगत उपस्थित होकर।